न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 128/2022

1 किशोर पुत्र पन्नाराम।
2 देवकरण पुत्र पन्नाराम।
3 बजरंगलाल पुत्र पन्नाराम।
4 रामचन्द्र पुत्र पन्नाराम।
5 श्रीराम पुत्र पन्नाराम समस्त जाति जाट निवासीगण बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 महावीर पुत्र मालाराम।
2 संजय पुत्र बीरबल।
3 महेश पुत्र जगदीश।
4 रामसिंह पुत्र जगदीश।
5 नरेश पुत्र जगदीश।
6 श्रीमती धापा देवी पत्नी जगदीश।
7 रविन्द्र कुमार पुत्र मूलचन्द।
8 अशोक कुमार पुत्र मूलचन्द।
9 मेवाराम पुत्र पन्नाराम समस्त जाति जाट निवासीगण बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
10 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रामपालसिंह पुत्र गुगन, सुभाष पुत्र गुगन की भी दर्ज है व रेस्पोडेन्टस नं. 1 व 2 की इनके साथ सह खातेदारी दर्ज है। सह खातेदारान के इन्द्राजात के बाबत राजस्व रिकार्ड नहीं लिया गया व न ही तहसीलदार नवलगढ़ की रिपोर्ट ली गयी। रेस्पोडेन्टस नं. 1 व 2 ने अपने आवेदन पत्र के साथ नक्शा पेश किया जिसमें खसरा नम्बर 1183 रकबा 2.30 हैक्टर आवेदन पत्र में दर्ज कर खसरा नम्बर 1183 की दक्षिणी सीव के सहारे सहारे व पश्चिमी दक्षिणी कोने से पश्चिमी सींव के सहारे सहारे रास्ते की मांग की गयी। ए. सी बी. रास्ता आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शे में अंकित किया गया है। ए. से बी. रास्ता न्यायालय आदेश 07.06.2022 से दर्ज हो चुका। इसके लिये रेस्पोडेन्ट अशोक कुमार की खातेदारी की जमीन में अंकन खसरा नम्बर 1875/1690 रकबा 0.0356 हैक्टर गैर मुमकीन रास्ता का अंकन हो चुका। रेस्पोडेन्ट रविन्द्रकुमार की खातेदारी की जमीन में खसरा नम्बर 1873/1636 रकबा 0.0656 गैर मुमकीन रास्ते का अंकन जमाबन्दी में न्यायालय आदेश से हो चुका। इस प्रकार ए सी बी रास्ते का अंकन न्यायालय आदेश दिनांक 07.06.2022 से हो चुका। इस बाबत तहसीलदार की रिपोर्ट नहीं ली गयी व न राजस्व रिकार्ड व नक्शे का अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के प्रार्थना पत्र में यह दर्ज नहीं है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 का वैकल्पिक रास्ता न हो। राजस्थान टीनेन्सी (सरकार) रूल्स 1955 के नियम 69 के प्रावधान आदेशात्मक है। जिसके अनुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रावधान के अनुसार मौके के निरीक्षण के लिये भु अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च अधिकारी को मौके के निरीक्षण के लिये नियुक्त करना व रिपोर्ट लेकर उस पर आपति लेना आवश्यक है। यह भी आवश्यक है कि आवेदन पत्र पर आवश्यक जांच की जानी चाहिये। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने नियम 69 के अनुसार मौका मुआयना के लिये राजस्व अधिकारी की नियुक्ति का आदेश पारित नहीं किया व उक्त प्रावधान के अनुसार मौके की रिपोर्ट नहीं ली। पत्रावली में पटवारी हल्का की रिपोर्ट लगी हुई है केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर गौर नहीं किया जा सकता। दिनांक 26.10.2021 के दिन पत्रावली पेशी में नही आयी व उपस्थिति के लिये कोई पेशी भी नहीं दी गयी। पक्षकारान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

को तारीख पेशी के लिये नोटिस भी नहीं दिया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 10.01.2022 की आदेशिका अंकित है जिसके अनुसार पत्रावली एसीएम से स्थानान्तरित होकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ के समक्ष पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। लेकिन पक्षकारान को नोटिस जारी नहीं किये व दिनांक 23.03.2022 की आदेशिका रीडर द्वारा लिखी हुई है पक्षकारान को नोटिस जारी करने का कोई आदेश नहीं है। इसके बाद अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये ही गलत रूप से दिनांक 01.07.2022 को पारित कर दिया गया। इस प्रकार उक्त वर्णन के अनुसार बिना नोटिस जारी किये, बिना जवाब नोटिस प्रस्तुत करने का अवसर दिये, बिना साक्ष्य लिये, बिना राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये, बिना विवेचन के विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय में रेस्पोडेन्ट नं. 2 का नाम अंकित नहीं किया व प्रार्थना पत्र व राजीनामा न होते हुये भी गलत तथ्य दर्ज कर गलत निर्णय पारित कर दिया। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2019 (एचसी) पेज 443, आरआरटी 2022–23 (सप्ली.) पेज 451, डीएनजे 2022(2) (रेव.) पेज 1046, आरआरटी 2023(1) पेज 490 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के आवेदन प्रस्तुत करने पर अप्रार्थीगण संख्या 4 से 9 अपीलान्टस की ओर से जरिये अधिवक्ता दिनांक 25.08.2021 को उपस्थिति दी जाकर अधिवक्ता श्री जयपाल द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तदुपरान्त दिनांक 01.07.2022 को अपीलांट के अधिवक्ता ने आदेशिका पर हस्ताक्षर कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की सहमति प्रदान की है। इस पर विचारण न्यायालय द्वारा मुताबिक सहमति विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचाराधीन निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के आवेदन प्रस्तुत करने पर अप्रार्थीगण संख्या 4 से 9 अपीलान्टस की ओर से जरिये अधिवक्ता दिनांक 25.08.2021 को उपस्थिति दी जाकर अधिवक्ता श्री जयपाल द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तदुपरान्त दिनांक 01.07.2022 को अपीलांट के अधिवक्ता ने आदेशिका पर हस्ताक्षर कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की सहमति प्रदान की है। इस पर विचारण न्यायालय द्वारा मुताबिक सहमति विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचाराधीन निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.4.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)